



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.11.2024 को थाना सिधारी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा शाहगढ़ में लूट व चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के जेवरात (कीमत लगभग 1.5 लाख रूपयें), अवैध असलहा, कारतूस व 11 हजार रूपयें नकदी बरामद किया गया है।

थाना-सिधारी

लूट व चोरी की घटना में 02 थानों की कुल 03 घटनाओं का सफल अनावरण; लूट के जेवरात (कीमत लगभग 1.5 लाख रूपयें), अवैध असलहा कारतूस व 11 हजार रूपयें नकदी के साथ 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

➔दिनांक 03.11.2024 को वादी इन्द्रेश गोंड पुत्र महेश गोंड ग्राम पुनापार थाना घोसी जिला मऊ हाल पता- ननिहाल उमेश गोंड पुत्र खुरचन गोंड ग्राम शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि रात्रि के 02.00-03.00 बजे के मध्य तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के नानी व मामी के साथ मारपीट कर घर में रखे बक्से को तोड़कर 16 थान सोने का एवं 10 थान चांदी का गहना व पांच बैग व दो अटैची उठा ले गये। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0428/2024 धारा 331(4),309(6) बी0एन0एस0 बनाम 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

इसी क्रम में-

➔आज दिनांक 19.11.2024 द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तों 1.टेनी उर्फ सरताज आलम पुत्र गुड्डू उर्फ आविद साकिन आदर्श नगर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष 2. शेरु उर्फ मो0 महफुज पुत्र मो0 अजीज निवासी खास बाजार थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को बैठौली पुलिया के पास से समय 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक अदद मंगलसूत्र पीली धातू, एक अदद करधन सफेद धातू, एक अदद अंगूठी पीली धातू, एक अदद विछिया, एक अदद पायल सफेद धातू, एक अदद मंगलसुत्र का लाकेट पीली धातु व एक जोड़ी पायल सफेद धातु, एक अदद तमंचा 305 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद तमंचा 305 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 11 हजार रूपयें नगद बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 449/24 धारा 3/25 आर्म्स पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद मंगलसूत्र पीली धातू, एक अदद करधन सफेद धातू व 10000 रुपया नगद संबन्धित मु0अ0सं0 428/24 धारा 331(4)/309(6)/117(2)/317(2) बीएनएस
02. एक अदद अंगूठी पीली धातू, एक अदद विछिया, एक अदद पायल सफेद धातू व 1000 रुपया नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 387/24 धारा 305/317(2) बीएनएस
03. एक अदद मंगलसुत्र का लाकेट पीली धातु व एक जोड़ी पायल सफेद धातु संबन्धित मु0अ0सं0 402/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
04. एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अपराध करने का तरीका-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग अपने साथियों के साथ अपनी स्कार्पियो गाडी से घूमते रहते हैं जो घर एकान्त/सूनसान स्थानों व ताला बन्द मकानों को तलाशकर मौका देखकर चोरी तथा लूट की घटना कारित करते हैं।

➔कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 03/11/2024 की रात्रि में शाहगढ़ बाजार में स्थित एक मकान के चैनल का ताला तोड़कर हम लोग चोरी के उद्देश्य से घर में घुसे तो उस घर की औरतों के जगने पर उनके द्वारा चोरी का विरोध करने पर उन्हें मारपीट घर में रखे हुए जेवरात व नगदी चोरी कर लिया गया था।

→उससे पहले दिनांक 07/10/2024 को रात्रि में हम चारों में शाहगढ से समेदा जाने वाले मार्ग पर सुनसान जगह पर स्थित मकान में घुसकर जेवरात व कुछ नगदी चोरी किया गया था।

→तथा दिनांक 12/10/2024 को रात्रि में मुबारकपुर क्षेत्र के ग्राम सुराई में रेलवे लाइन के किनारे सुनसान जगह पर स्थित मकान में रात्रि में सीढी के रास्ते घर में घुसकर आलमारी को तोडकर जेवरात चोरी किये थे।

चोरी किये गये सामानों को हम लोग तुरन्त अगले दिन ही जेवरात व पैसों का बंटवारा आपस में बराबर बराबर कर लेते हैं जिससे प्राप्त सामान व पैसों से हम लोग अपना ऐसों-आराम करते है।

अनावरण अभियोगों का विवरण:-

01.दिनांक 03.11. 24 को थाना सिधारी आजमगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 0428/2024 धारा 331(4),309(6) बी0एन0एस0 ।

02. दिनांक 07.10.24 को थाना सिधारी आजमगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 387/24 धारा 305/317(2) बीएनएस

03. दिनांक 12.10.24 को थाना मुबारकपुर आजमगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 402/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1.टेनी उर्फ सरताज आलम पुत्र गुड्डू उर्फ आविद साकिन आदर्श नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष

2. शेरु उर्फ मो0 महफुज पुत्र मो0 अजीज निवासी खास बाजार थाना जियनपुर जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष

वांछित/फरार अभियुक्तों का विवरण:-

1-शालिम पुत्र इजहारनिवासी बासूपार थाना जीयनपुर आजमगढ हाल पता देवली थाना मुबारकपुर आजमगढ ।

2. नदीम पुत्र अकरम निवासी देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 449/24 धारा 3/25 आर्म्स थाना सिधारी जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

टेनी उर्फ सरताज आलम पुत्र गुड्डू उर्फ आविद साकिन आदर्श नगर थाना जीयनपुर आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष

1.मु0अ0सं0- 325/14 धारा 109/41 सीआरपीसी थाना जीयनपुर आजमगढ

2.मु0अ0सं0- 101/23 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ

3.मु0अ0सं0- 154/24 धारा 2(b)(i),3(i) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ

4.मु0अ0सं0- 264/23 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ

5.मु0अ0सं0- 410/20 धारा 401 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ

6.मु0अ0सं0- 411/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ

7.मु0अ0सं0- 659/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ

8.मु0अ0सं0- 72/19 धारा 323/379/411 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ

9.मु0अ0सं0- 366/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ

शेरु उर्फ मो0 महफुज पुत्र मो0 अजीज निवासी खास बाजार थाना जियनपुर जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष

1.मु0अ0सं0- 338/24 धारा 115(2),118(1),351(2),352 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क एससी एसटी एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ

2.मु0अ0सं0- 648/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ

3.मु0अ0सं0- 683/22 धारा 380/411/454 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ

4.मु0अ0सं0- 84/22 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ

5.मु0अ0सं0- 548/23 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. वीरेन्द्र कुमार प्र0नि0 थाना सिधारी मय हमराह जनपद आजमगढ

2. निरी0 नन्द कुमार तिवारी प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद आजमगढ

3. उ0नि0 संजय सिंह प्रभारी एसओजी द्वितीय मय टीम जनपद आजमगढ

